



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

13 भाद्र 1935 (श0)
(सं0 पटना 696) पटना, बुधवार, 4 सितम्बर 2013

पर्यावरण एवं वन विभाग

अधिसूचनाएं

8 अगस्त 2013

बिहार वन लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्तों) नियमावली 2013

सं० वन अरा०स्था०-15/12-2897/प०व०-भारत के संविधान के अनुच्छेद- 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल पर्यावरण एवं वन विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों के लिपिकीय संवर्ग की भर्ती एवं अन्य सेवा-शर्तों को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ- (1) यह नियमावली "बिहार वन लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्तों) नियमावली, 2013" कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में पर्यावरण एवं वन विभाग के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में होगा।

(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएँ- इस नियमावली में जबतक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

- (i) "संवर्ग" से अभिप्रेत है, पर्यावरण एवं वन विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों का लिपिकीय संवर्ग;
- (ii) "आयोग" से अभिप्रेत है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग;
- (iii) "नियुक्ति प्राधिकार" से अभिप्रेत है, मुख्य वन संरक्षक, प्रशासन एवं मानव संसाधन विकास;
- (iv) "नियत दिन" से अभिप्रेत है, इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि ;
- (v) "सदस्य" से अभिप्रेत है, संवर्ग में नियुक्त कोई व्यक्ति तथा इस नियमावली के प्रारंभ के पूर्व संवर्ग में नियुक्त सभी व्यक्ति इसमें शामिल हैं ;

- (vi) "अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति" से अभिप्रेत है प्रासंगिक परिपत्रों/अनुदेशों के अनुसार कार्य में व्यस्त मृत सरकारी सेवक के आश्रितों में से किसी एक की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति।

3 संवर्ग की संरचना— लिपिकीय संवर्ग की संरचना निम्नानुसार होगी :-

क्र०	कोटि का नाम	स्तर	वेतन बैंड का नाम	वेतन बैंड	ग्रेड वेतन
1	2	3	4	5	6
(क)	निम्नवर्गीय लिपिक	मूल कोटि	पी०बी०-1	5200-20200	1900
(ख)	उच्चवर्गीय लिपिक	प्रथम प्रोन्नति स्तर	पी०बी०-1	5200-20200	2400
(ग)	प्रधान लिपिक	द्वितीय प्रोन्नति स्तर	पी०बी०-1	5200-20200	2800
(घ)	सहायक प्रशासी पदाधिकारी	तृतीय प्रोन्नति स्तर	पी०बी०-2	9300-34800	4600

टिप्पणी — निम्नवर्गीय लिपिक एवं उच्चवर्गीय लिपिक, प्रधान लिपिक तथा कार्यालय अधीक्षक का वर्तमान पदसोपान अगले आदेश तक जारी रहेगा।

4 संवर्ग बल— संवर्ग बल ऐसा होगा जो पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाय।

5 भर्ती— (1) निम्नवर्गीय लिपिक का 85% पद सीधी भर्ती से भरे जायेंगे और 15% पद मैट्रिकुलेशन अर्हता वाले पात्र समूह 'घ' कर्मचारियों में से भरे जायेंगे। सीधी भर्ती के लिए 85% पदों का 10% अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के लिए आरक्षित किया जायेगा।

(2) सभी भर्ती आयोग की अनुशंसा पर निम्नवर्गीय लिपिक की कोटि से की जायेगी।

(3) नियुक्ति प्राधिकार प्रत्येक वर्ष की एक अप्रिल के आधार पर रिक्तियों की गणना करेगा और 30 अप्रिल तक आयोग को अध्याचना भेज देगा।

(4) आयोग रिक्तियों को विज्ञापित करेगा और प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सफल अभ्यर्थियों का चयन करने के बाद नियुक्ति प्राधिकार को मेधाक्रम में अभ्यर्थियों के नाम की अनुशंसा करेगा। मेधासूची की वैधता, अनुशंसा प्राप्ति की तिथि से, एक वर्ष के लिए होगी।

(5) सम्यक् छानबीन के बाद, नियुक्ति प्राधिकार अभ्यर्थी की नियुक्ति दो वर्षों के लिये परीक्षा पर करेगा।

6 अर्हता— (1) न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता कम्प्यूटर संचालन एवं कम्प्यूटर टंकण के ज्ञान के साथ मैट्रिकुलेशन या उसके समकक्ष होगी।

(2) भर्ती के लिये न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होगी और अधिकतम उम्र वही होगी, जो राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा, समय-समय पर निश्चित की जाय।

7 आरक्षण— राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर अधिसूचित आरक्षण/रोस्टर का भर्ती एवं प्रोन्नति में अनुपालन आवश्यक होगा।

8 प्रोन्नति द्वारा भर्ती—(1) नियुक्ति प्राधिकार मैट्रिक उत्तीर्ण समूह 'घ' कर्मचारियों की वरीयता सूची तैयार करेगा।

(2) प्रोन्नति वरीयतानुसार विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर की जायेगी।

9. परीक्षा— प्रत्येक भर्ती परीक्षा पर दो वर्षों के लिए होगी और विशेष परिस्थिति में इसका विस्तार एक वर्ष के लिए नियुक्ति प्राधिकार द्वारा किया जा सकेगा, यदि परीक्षा अवधि संतोषजनक नहीं हो। ऐसा अवधि विस्तार तभी होगा जब नियुक्ति प्राधिकार की राय में परीक्षाधीन व्यक्ति में सुधार की गुंजाइश हो। यदि विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो संबंधित व्यक्ति को सेवामुक्त कर दिया जायेगा।

10. विभागीय परीक्षा— (1) विभागीय परीक्षा राजस्व पर्षद द्वारा संचालित की जायेगी।

(2) विभागीय परीक्षा में दो पत्र होंगे और प्रत्येक पत्र में उत्तीर्ण होने के लिये 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा।

पत्र-1

सेवा नियमावली— बिहार सेवा संहिता, पेंशन नियमावली, वरीयता एवं प्रोन्नति के विधि, टिप्पणी एवं प्रारूपण।

पत्र-2

वित्तीय नियमावली— कोषागार संहिता, वित्तीय नियमावली, प्रैक्टिस एवं प्रोसिडियोर, बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली, सामान्य भविष्य निधि नियमावली, यात्रा भत्ता नियमावली, बीमा नियमावली।

11. सम्पुष्टि— कोई परिवीक्षाधीन व्यक्ति परिवीक्षा अवधि की संतोषजनक समाप्ति तथा विभागीय परीक्षा की उत्तीर्णता के बाद सम्पुष्टि किया जायेगा।

12. वरीयता— संवर्ग के सदस्य की आपसी वरीयता आयोग द्वारा निश्चित उनकी मेधा स्थिति के अनुसार होगी, परन्तु इस नियमावली के आरंभ होने के पूर्व विनिश्चित आपसी वरीयता अपरिवर्तनीय रहेगी,

परन्तु अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति उन व्यक्तियों से कनीय होंगे जो संबंधित भर्ती वर्षों में प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्त किये गये हैं,

परन्तु और कि किसी भर्ती वर्ष में प्रोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति संबंधित भर्ती वर्ष में प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नियुक्त व्यक्ति से वरीय होंगे।

13. प्रोन्नति —

(1) मूल कोटि से उच्चतर कोटि में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा, समय-समय पर, निश्चित कालावधि के पूरा होने पर और विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर दी जा सकेगी।

(2) विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नानुसार गठित होगी :-

(क)	मुख्य वन संरक्षक, प्रशासन एवं मानव संसाधन विकास	अध्यक्ष
(ख)	दो वरिष्ठ अंचलीय वन संरक्षक	सदस्य
(ग)	अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति का एक पदाधिकारी	सदस्य

14. संवर्ग का स्तर — (1) यह संवर्ग राज्य स्तरीय होगा। निम्नवर्गीय लिपिक/उच्चवर्गीय लिपिक/प्रधान लिपिक के रूप में एक प्रमंडल, एक अंचल एवं एक क्षेत्र में पदस्थापन की अधिकतम अवधि सामान्यतया क्रमशः 3 (तीन), 6 (छः) एवं 9 (नौ) वर्ष होगी।

(2) क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक अपने क्षेत्र के अधीन इनका स्थानान्तरण/पदस्थापन कर सकेंगे।

(3) मुख्य वन संरक्षक, प्रशासन एवं मानव संसाधन विकास एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानान्तरण/पदस्थापन कर सकेंगे।

(4) मुख्य वन संरक्षक, प्रशासन एवं मानव संसाधन विकास सहायक प्रशासी पदाधिकारियों का स्थानान्तरण/पदस्थापन कर सकेंगे।

15. अवशिष्ट मामले— ऐसे मामलों के संबंध में, जो इस नियमावली द्वारा विशिष्ट रूप से आच्छादित नहीं हों, संवर्गों के सदस्य, राज्य सरकार के समुचित स्तर के पदाधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू नियमावली, विनियमावली या आदेशों द्वारा शासित होंगे।

16. कठिनाई का निराकरण—सरकार (पर्यावरण एवं वन विभाग) समय-समय पर ऐसा सामान्य या विशेष आदेश जारी कर सकेगें, जो इस नियमावली के प्रावधानों में से किसी के कार्यान्वयन में आ रही कठिनाई के निराकरण के लिए आवश्यक हो।

17. शिथिल करने की शक्ति—जहाँ सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है वहाँ आदेश द्वारा कारणों को अभिलिखित करते हुए, किसी व्यक्ति या किसी कोटि से संबंधित इस नियमावली के किसी प्रावधान को वह शिथिल कर सकेगी।

18. निर्वचन—जहाँ इस नियमावली के किसी प्रावधान के निर्वचन के संबंध में कोई शंका उत्पन्न हो वहाँ मामला सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विनिश्चित किया जायेगा और उसका निर्णय अन्तिम होगा।

19. निरसन एवं व्यावृत्ति—(i) इस संवर्ग से संबंधित पूर्व में निर्गत सभी संकल्प एवं अनुदेश एतद् द्वारा निरसित किये जाते हैं।

(ii) ऐसे निरसन के होते हुए भी, ऐसे संकल्प/अनुदेश के अधीन प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग करते हुए किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्रवाई इस नियमावली के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अधीन किया गया कार्य या की गयी कार्रवाई मानी जायेगी मानो यह नियमावली उस दिन प्रवृत्त थी जिस दिन ऐसा कार्य या कार्रवाई की गयी थी।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
दीपक कुमार सिंह,
सरकार के सचिव।

8 अगस्त 2013

सं० वन अरा०स्था०—15/12—2898/प०व०—बिहार वन लिपिकीय सम्बर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली 2013 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार—राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद—348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उक्त अधिसूचित नियमावली 2013 का प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
दीपक कुमार सिंह,
सरकार के सचिव।

The 8th August 2013

Bihar Forest Clerical Cadre (Recruitment and Condition of Service) Rules, 2013.

No.- Van Ara Ashtha-15/12- 2897—In exercise of the powers conferred under proviso to Article, 309 of the constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules for regulating the recruitment and other conditions of service of the clerical cadre in field offices of the Environment and Forest Department.

1. Short title, extent and commencement— (1) These Rules may be called as the Bihar Forest Clerical Cadre (Recruitment and Condition of Service) Rules, 2013.

- (2) It shall extend to all field offices of Environment and Forest Department in the entire State of Bihar.
- (3) It shall come into force with immediate effect

2. Definition- *In these Rules unless otherwise required in the context:-*

- (i) “Cadre” means the clerical cadre of field offices of the Environment and Forest Department;
- (ii) “Commission” means the Bihar Staff Selection Commission;
- (iii) “Appointing Authority” means the Chief Conservator of Forest, Administration and Human Resources Development;
- (iv) “Appointed day” means the date of commencement of these Rules;
- (v) “Member” means a person appointed in the cadre and includes all the person appointed in the cadre before the commencement of these Rules;
- (vi) “Appointment on compassionate ground” means appointment of any one of the dependents of the government servant dying in harness as per relevant circulars/instructions.

3. Cadre Structure.—The cadre structure of the clerical cadre shall be as follows:-

Sl. No.	Name of Posts	Level	Name of Pay Band	Pay Band	Grade Pay
a	Lower Division Clerk	Basic Category	PB-1	5200-20200	1900
b	Upper Division Clerk	First Promotion Level	PB-1	5200-20200	2400
c	Head Clerk	Second Promotion Level	PB-1	5200-20200	2800
d	Assistant Administrative Officer	Third Promotion Level	PB-2	9300-34800	4600

Note - The existing hierarchical structure of L.D.C and U.D.C., Head Clerk and Office Superintendent shall continue till further order.

4. Cadre Strength.— The cadre strength shall be such as determined by the Environment and Forest Department from time to time.

5. Recruitment.— (1) 85% posts of L.D.C shall be filled up through direct recruitment and 15% posts shall be filled up from amongst the eligible Group “D” employees having Matriculation Qualification. Of the 85% posts for direct recruitment, 10% shall be reserved for the appointment on compassionate ground.

- (2) All recruitments shall be made from the Category of Lower Division clerk on the recommendation of the Commission.
- (3) The appointing authority shall calculate the vacancies every year on the basis of 1st April and shall send the requisition to the commission by the 30th April.
- (4) The Commission shall advertise the vacancies and shall recommend, the name of the candidates in order of merit to the appointing authority after selection of successful candidates on the basis of competitive examination. The validity of the merit list shall be for one year from the date of receipt of recommendation.

- (5) The appointing authority, after due scrutiny, shall appoint the candidate on probation for two years.

6. *Qualification.*— (1) The minimum educational qualification shall be matriculation or equivalent to it with knowledge of computer operation and computer typing.

(2) Minimum age for recruitment shall be eighteen year and maximum age shall be the same as may be determined by the State Government (General Administration Department), from time to time.

7. *Reservation.*— Compliance of reservation/roster in recruitment and promotion, as notified by the State Government from time to time, shall be necessary.

8. *Recruitment through promotion.*— (1) The appointing authority shall prepare the gradation list of matriculate Group 'D' Staff.

(2) The promotion shall be made according to seniority on recommendation of the Departmental Promotion Committee.

9. *Probation.*— Each recruitment shall be on probation for two years and it may be extended for one year in special circumstances by the appointing authority, if the probation period is not satisfactory. Such extension shall be done only if the appointing authority is of the opinion that the probationer has a chance to improve. If the service is not found satisfactory in the extended period also, the person concerned shall be discharged from the service.

10. *Departmental Examination.*— (1) Departmental examination shall be conducted by the Board of Revenue.

(2) There shall be two papers in the departmental examination and it shall be necessary to obtain 40% marks for passing the examination in each paper.

Paper 1

Service Rules- Bihar Service Code, Pension Rules, laws of seniority and promotion, Noting and Drafting.

Paper 2

Financial Rules- Treasury Code, Financial Rules, Practice and Procedure, Board Miscellaneous Rules, GPF Rules, TA Rules, Insurance Rules.

11. *Confirmation.*—A probationer shall be confirmed after completion of satisfactory probation period and passing of the departmental examination.

12. *Seniority.*— Inter-se seniority of the member of the cadre shall be according to their position of the merit determined by the Commission but the inter-se seniority decided before the Commencement of these Rules shall remain unchanged.

Provided that the person appointed on the basis of compassionate ground shall be junior to such persons who have been appointed on the basis of Competitive Examination of concerned recruitment years.

Provided further that the person appointed by promotion in a recruitment year shall be senior to the person appointed by Competitive Examination in the concerned recruitment year.

13. Promotion.— (1) Promotion from basic category to higher category may be given on completion of KALAWADHI as determined by the General Administration Department, from time to time, and on the recommendation of Departmental Promotion Committee.

(2) The Departmental Promotion Committee shall be constituted as follows:

a. Chief Conservator of Forest, Administration and Human Resources Development.	Chairman
b. Two Senior most Circle Conservator of Forest.	Member
c. One Officer of Scheduled Caste/Scheduled Tribe Category decided by the Chairman.	Member

14. Level of Cadre.— (1) The cadre shall be of State Level. Maximum period of posting for Lower Division Clerks/Upper Division Clerks/Head Clerks in a Division/ Circle/Region will be normally 3 (Three), 6 (Six), and 9 (Nine) years respectively.

(2) Regional Chief Conservator of Forest may transfer them within his jurisdiction.

(3) Chief Conservator of Forest, Administration and Human Resources Development may transfer and post from one region to another region.

(4) Chief Conservator of Forest, Administration and Human Resources Development may transfer and post Assistant Administrative Officers.

15. Residuary matters.— With regard to matters not specifically covered by these Rules, the members of the cadres shall be governed by the Rules, Regulations or Orders applicable to the officers/employees of the State Government at appropriate level.

16. Removal of difficulties.—The Government (Environment and Forest Department) may, from time to time, issue such general or special directions as may be necessary to remove difficulties coming in the implementation of any of the provisions of these Rules.

17. Power to relax.— Where the Government is of the opinion that it is necessary and expedient to do so it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these Rules with respect to any person or any category.

18. Interpretation.— Where any doubt arises as to the interpretation of any of the provision of these Rules, the matter shall be decided by the General Administration Department, whose decision shall be final.

19. Repeal and Savings.—(1) All resolutions and instructions issued earlier with respect to this cadre are hereby repealed.

- (2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken in exercise of any power conferred by or under such resolutions, instructions shall be deemed to have been done or taken in exercise of the powers conferred under these Rules as if these Rules were in force on the day on which such thing or action was done or taken.

By order of the Governor of Bihar,
DIPAK KUMAR SINGH,
Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 696-571+500-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>